



महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार,
दारोगा राय पथ, आर0 ब्लॉक रोड नं0-2
पटना-800001

e-mail- support.wdc@bihar.gov.in,
Ph : - 0612 - 2506078/2506068web -http://www.wdc.bih.nic.in/

विज्ञापन सूचना-6 / 2025

महिला एवं बाल विकास निगम अंतर्गत संविदा आधारित निम्नांकित पदों पर संविदा पर नियोजन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है :-

क्र	पद का नाम	पदों की संख्या	आरक्षित कोटि
1	वित्तीय प्रबंधन एवं तकनीकी सहयोग परामशी (FMTC)	1	UR
2	राज्य परियोजना प्रबंधक (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन)	1	UR
3	राज्य परियोजना प्रबंधक (संचार एवं प्रलेख)	1	UR
4	लेखापाल	1	UR
5	सहायक	4	(UR-02, BC (W)-01, EBC-01
6	अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक के निजी सहायक	2	(UR-01, EBC-01)

नियोजन से संबंधित विस्तृत विवरणी, महिला एवं बाल विकास निगम के वेबसाईट <https://wcdc.bihar.gov.in/> पर उपलब्ध है। आवेदन केवल ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार किये जाएंगे। आवेदन प्राप्त करने की निर्धारित अंतिम तिथि के बाद एवं ऑनलाईन के अलावे किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

प्रशासी पदाधिकारी



महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार,

दारोगा राय पथ, आर0 ब्लॉक रोड नं0-2
पटना-800001

e-mail- support.wdc@bihar.gov.in,

Ph : - 0612 – 2506078/2506068 web - <http://www.wdc.bih.nic.in/>

विज्ञापन सूचना-06 / 2025-26

महिला एवं बाल विकास निगम अंतर्गत संविदा आधारित निम्नांकित पदों पर संविदा पर नियोजन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है :-

क्र	पदनाम	रिक्ति की संख्या	अर्हता/योग्यता एवं अनुभव
1	वित्तीय प्रबंधन एवं तकनीकी सहयोग परामर्शी (FMTC)	01 UR	Essential Qualification C.A. Experience :- Should have minimum 5 years work Experience in Financial Management/Accounting, dealing with budget preparation and fund flow management. preferably for a large rural development project Experience of working with externally aided project will be preferred. The firm should be CAG impaneled and Annual turn over should be more than Rs. 10 lacs. Monthly Emoluments :- Rs. 84,507/ month
2	राज्य परियोजना प्रबंधक (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन) State Project Manager – Monitoring & Evaluation	01 UR	Essential Qualification S/he must possess P.G. diploma/Master degree in Rural Development/Women Studies/Rural Management/Social Work from a premier Institute. Experience :- Minimum 5 years work experience out of which 2 years should be in managerial capacity in Research/Documentation. Exposure to log frame Monitoring Evaluation work preferable. Monthly Emoluments :- Rs. 60,362.00/ month
3	राज्य परियोजना प्रबंधक (संचार एवं प्रलेख) State Project Manager - Communication & Documentation	01 UR	Essential Qualification S/he must possess a degree in communications/media studies, information technology, or equivalent from a premier Institute. Experience :- Minimum 5 years work experience out of which 2 years should be in managerial capacity in communication & documentation support in the field of rural development. Monthly Emoluments :- Rs. 60,362.00/ month

4	लेखापाल (Accountant)	01 UR	<u>Essential Qualification</u> B.Com (Hons) Preference will be given to CA (Inter)/ICWA (Inter) <u>Experience : -</u> Minimum 3 years experience of accounts work in Govt./Semi Govt./Organization of repute. Retired AG/Finance Deptt. Personnel may also be considered. Should be conversant with the use of computer packages viz. Tally, MS Excel, Ms-Word etc. <u>Monthly Emoluments</u> : - Rs. 30180/ month
5	सहायक (Assistant)	04 Positions =4 (UR-02, BC (W)-01, EBC-01	<u>Essential Qualification</u> Graduate in any faculty must have knowledge of typing both in Hindi & English on Computer. <u>Experience : -</u> Should have minimum 3 years working experience in Govt./Semi Govt./Organizations of repute. Knowledge of Govt. procedures. <u>Monthly Emoluments</u> : - Rs. 30180/ month
6	अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक के निजी सहायक (PA to MD/CMD)	02 UR-01 EBC-01	<u>Essential Qualification</u> Graduate any faculty. <u>Technical Qualification</u> : Should capable of taking dictation both in English & Hindi respectively should alone person a typing skill on Computer. <u>Experience : -</u> Minimum 3 years working experience as a P.A. with similar officer in any public under taking or organization of repute. Should be able to maintain Cash book & other books of accounts.

ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थियों के लिये आवश्यक दिशा निर्देश :

1. आवेदन भरने और अन्य विवरण प्राप्त करने के लिए निगम के आधिकारिक वेबसाइट <https://wcdc.bihar.gov.in/> पर जाकर अवलोकन किया जा सकता है। आवेदन के लिए लिंक दिनांक **14.08.2025** को खुलेगा।
2. आवेदन केवल ऑनलाईन के माध्यम से ही स्वीकार किये जाएंगे।
3. ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि **03.09.2025 अपराह्न, 05.00, बजे** तक निर्धारित है। इस तिथि और समय के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
4. उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे नियोजन से संबंधित आवश्यक अपडेट एवं अन्य सूचनाओं/घोषणाओं के लिए समय-समय पर वेबसाइट का अवलोकन करते रहेंगे।
5. इस भर्ती/नियोजन में बिहार सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्गत/तय की गयी आरक्षण नीति (क्षैतिज आरक्षण सहित) लागू होगी।
 - (i) ऑनलाईन आवेदन करते समय नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा एवं उन्हें सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी में रखा जायेगा। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-70, दिनांक 11.06.1996 एवं बिहार अधिनियम 15/2003 (मूल) के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूलवासी को ही देय होगा। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
 - (ii) आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण कोटि का दावा ऑनलाईन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाईन आवेदन करते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत वांछित प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।
 - (iii) ऑनलाईन आवेदन पत्र में दावा किये गये आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा।
 - (iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। संबंधित मूल प्रमाण पत्र साक्षात्कार में बुलाये जाने पर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
 - (v) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने के समय क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पास भौतिक रूप से उपलब्ध होना अनिवार्य है, जिसकी निर्गत संख्या तिथि सहित ऑनलाईन आवेदन के निर्दिष्ट कॉलम में अंकित करना होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में अंकित क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र एवं स्थानी निवास प्रमाण पत्र मूल में साक्षात्कार के लिये बुलाये जाने पर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

- (vi) सभी प्रमाण-पत्र ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि या उसके पूर्व का होना अनिवार्य है। एक से अधिक पदों के लिये ऑनलाईन अलग-अलग आवेदन मान्य होगा।
- (vii) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के विज्ञापन प्रकाशित होने के एक वर्ष से पूर्व का होने की स्थिति में शपथ पत्र देना आवश्यक होगा।
- (viii) आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम एवं पता से।
- (ix) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का दावा करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना अनिवार्य है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी समर्पित करना अनिवार्य है। अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिये विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी, परंतु राज्य के बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिये वैध माना जायेगा।
- (x) अभ्यर्थी हाल का अपना एक फोटो तथा हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित स्थान पर अपलोड करेंगे। अभ्यर्थी संतुष्ट हो लेंगे, कि अपलोड किया गया फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।

6. उम्र सीमा— संविदा पर नियोजन हेतु आयु की गणना 01 अगस्त, 2025 से होगी :—
अधिकतम आयु सीमा—

- i. अनारक्षित वर्ग (पुरुष)—37 वर्ष।
- ii अनारक्षित वर्ग (महिला)—40 वर्ष।
- iii पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष/महिला)—40 वर्ष।
- iv अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष/महिला)—42 वर्ष।

7. विज्ञापित सभी पदों हेतु निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के लिये प्राप्त प्राप्तांक के प्रतिशत पर अधिकतम 50 अंक, महिलाओं से संबंधित विषयों पर अतिरिक्त उच्च शैक्षणिक योग्यता के लिये अधिकतम 10 अंक एवं सिर्फ सरकारी कार्यालय अथवा सरकार से संबद्ध कार्यालयों का कार्यानुभव के लिये अधिकतम 25 अंक (NGO कार्यानुभव के लिये अंक देय नहीं) तथा साक्षात्कार के लिये अधिकतम 15 अंक निर्धारित है। इस प्रकार कुल 100 अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा। अभ्यर्थियों के लिये निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत, अतिरिक्त संबंधित उच्च शैक्षणिक योग्यता के लिए प्राप्त अंक तथा कार्यानुभव के लिए प्राप्त अंक के आधार पर तैयार की गई मेधा सूची में से उपर से रिक्त पदों की संख्या के कम से कम 5 गुणा अभ्यर्थियों (कोटिवार) को लिखित परीक्षा/काउंसलिंग/साक्षात्कार हेतु शॉर्टलिस्ट किया जायेगा।

जिसका अधिकार अंतिम रूप से महिला एवं बाल विकास निगम को होगा। आवश्यकतानुसार लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के माध्यम से नियोजन की कार्यवाई संपन्न किये जाने का अधिकार निगम को सुरक्षित रहेगा।

स्कूटनी/चयन प्रक्रिया :-

निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के प्रतिशत पर अधिकतम 50 अंक	संबंधित विषयों पर अतिरिक्त उच्च शैक्षणिक योग्यता के लिये अधिकतम 10 अंक	सिर्फ सरकारी कार्यालय अथवा सरकार से संबद्ध कार्यालयों का कार्यानुभव के लिये अधिकतम 25 अंक	साक्षात्कार के लिये अधिकतम 15 अंक	कुल प्राप्तांक
1	2	3	4	5
(अधिकतम 50 अंक)	(अधिकतम 10 अंक)	(अधिकतम 25 अंक)	(अधिकतम 15 अंक)	1+2+3+4 = कुल अंक

- काउंसलिंग/साक्षात्कार के समय ऑनलाईन आवेदन के आधार पर अभ्यर्थियों के द्वारा प्राप्त अंकों का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन में गलत दावा कर अंक प्राप्त किए जाने की स्थिति में उनकी अभ्यर्थिता को रद्द किए जाने का अधिकार महिला एवं बाल विकास निगम के पास सुरक्षित रहेगा। ऑनलाईन आवेदन में अपने प्रमाण पत्रों के संबंध में अभ्यर्थियों के द्वारा गलत सूचना दिये जाने की स्थिति में जांचोपरांत उनकी अभ्यर्थिता को रद्द करते हुए उनपर आवश्यक कानूनी कार्यवाई निगम के द्वारा की जायेगी।
- अभ्यर्थियों द्वारा आवश्यक दस्तावेज यथा-शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/शैक्षणिक अंक पत्र, कार्यानुभव प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र (आधार कार्ड/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर कार्ड) की मूल प्रति एवं उसकी एक छाया-प्रति को स्वअभिप्रमाणित करते हुए काउंसलिंग/साक्षात्कार के समय निश्चित रूप से लाएंगे। सत्यापन के बाद मूल प्रमाण पत्र की प्रति अभ्यर्थियों को वापस लौटा दी जाएगी।
- महिला एवं बाल विकास निगम बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी स्तर पर इस भर्ती प्रक्रिया के तहत रिक्त पदों से संबंधित विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- महिला एवं बाल विकास निगम अंतर्गत विज्ञापित सभी पद पूर्णतः संविदा आधारित पद है। जिस पर एक वर्ष के लिये प्रारंभ में तीन माह प्रोबेशन अवधि के साथ नियोजन किया जायेगा। प्रोबेशन अवधि के संतोषजनक होने के उपरांत शेष अवधि के लिये सेवा विस्तार किया जा सकेगा। संविदा के आधार पर चयनित कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और न ही सरकारी सेवकों के लिये अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। संविदा के आधार पर चयनित इन कर्मियों द्वारा सरकारी सेवा के नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- नियोजन के उपरांत अनुबंध की अवधि का नवीकरण/सेवा विस्तार कर्मचारी के कार्य प्रदर्शन के आधार पर उनके कार्य मूल्यांकन के उपरांत किया जाएगा। नियोजित होने के उपरांत कर्मी पार्ट टाइम/फुल टाइम किसी अन्य कार्यालय/संस्थान में कार्य नहीं करेंगे।
- विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के पूर्व का वांछित कार्यानुभव प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के बाद का कार्यानुभव प्रमाण पत्र किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगा। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बाद का ही कार्यानुभव मान्य होगा।

14. मेधा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। वर्णित पदों पर नियोजन हेतु आवश्यकतानुसार लिखित परीक्षा लिये जाने का अधिकार निगम को सुरक्षित होगा।
15. महिला एवं बाल विकास निगम में कार्यरत वैसे कर्मी जो विज्ञापित पद के विरुद्ध योग्यता रखते हैं, उन्हें आवेदन करने हेतु उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक-12534 दिनांक 17.09.2018 के परिशिष्ट-9 के आलोक में नियमानुसार उम्र सीमा में छूट दी जायेगी।
16. अंतिम रूप से नियोजन का निर्णय निगम द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर महिला एवं बाल विकास निगम को होगा।
17. टाईपींग त्रुटि/किसी प्रकार की मानवीय भूल की स्थिति में आवश्यक संशोधन का अधिकार महिला एवं बाल विकास निगम को सुरक्षित रहेगा।

नोट : केवल न्यूनतम पात्रता मानदंडों को स्वयं पूरा करने से कोई भी आवेदक आगे की चयन प्रक्रियाओं के लिए चयनित या आमंत्रित होने का हकदार नहीं होगा। अपनी पात्रता की पुष्टि करना आवेदक की जिम्मेदारी है।

महिला एवं बाल विकास निगम के पास भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी आवेदक के नियोजन अथवा विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

प्रशासी पदाधिकारी

=====***=====